न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन) बीकानेर
बईजलास श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा निग. पंचायत 19/2012

अनवान :–

श्री रविन्द्र पुत्र श्री सुनील कुमार जाति बिश्नोई निवासी वादगत खेत झझु हाल जवाहर नगर बीकानेर तहसील बीकानेर बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

1– श्री सलीम खां पुत्र नूरे खां जाति मुसलमान (सिपाई) निवासी ग्राम झझु तहसील कोलायत जिला बीकानेर

2– ग्राम पंचायत झझु तहसील कोलायत जिला बीकानेर जरिये सरपंच

अप्रार्थीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1– प्रार्थी निगरानीकर्ता – श्री रविन्द्र कुमार अधिवक्ता
2– गैर निगरानीकर्ता सं. 1 व 2 – अनुपस्थित।

आदेश दिनांक 23.09.2019

1. निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 ग्राम पंचायत झझु द्वारा बिना अधिकार अवैध एवं विधि एवं नियमों के विरूद्ध दिनांक 01.12.1999 को अप्रार्थी सं. 1 के नाम ओरण एवं कुछ हिस्सा प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पट्टे जारी किया है। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि अप्रार्थी नं. 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 01.12.1999 नल एण्ड बॉयड विदाउट ज्यूरिश डिक्शन होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

2. निगरानी प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत झझु से मूल रिकार्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तदन्तर मामले में प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी गई।

3. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1000 वर्गगज ओरण की भूमि में पट्टा जारी किया है एवं विदाउट ज्यूरिश डिक्शन होने के कारण नल एण्ड एबीनिशियों बॉयड है न्यूलिटी एवं बेअसर है। ग्राम पंचायत को नियमानुसार आबादी भूमि में रिहायशी पट्टे जारी करने का अधिकार प्राप्त है किन्तु गैर आबादी भूमि गोचर एवं जोहड पायतन की भूमि पर रिहायशी पट्टे जारी करने का अधिकार नहीं है। पंचायत राज नियम 1996 नियम 141 से 156 की भी कतई पालना नहीं की गई है। मौका पर कुछ समय पहले अप्रार्थी ने ओरण भूमि कब्जा करने का प्रयास किया तो ग्रामीणों एवं प्रार्थी के विरोध करने के कारण निर्माण करने में सफल नहीं

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

हो सका। अप्रार्थी ने कहा कि इस भूमि को भूतपूर्व सरपंच श्री मेघराज द्वारा उसके नाम से रिहायश के पट्टे जारी किये है ग्राम पंचायत के कार्यालय में अप्रार्थी के नाम से जारी पट्टे की पत्रावली का पता किया एवं नकले मांगी गई तो वर्तमान सरपंच एवं सचिन ने कहा कि अप्रार्थी के नाम से पट्टे जारी करने बाबत रेकार्ड में पत्रावली उपलब्ध नहीं है और वादगत भूमि खसरा नम्बर 218, 223, 225 व 335 वगैराह को आबादी में परिवर्तन करवाने का कोई रेकार्डस नहीं अर्थात आबादी में परिवर्तन योग्य नहीं है एवं अधिकृत अधिकारी भूमि आबादी में परिवर्तन करने का आदेश भी उपलब्ध नहीं है इस पर पटवारी हल्का से राजस्व रेकार्ड बाबत पता किया तो पटवारी हल्का ने परिवर्तन करने का कोई इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ है बकाया रेकार्डस ओरण भूमि ही दर्ज है। औरण (गौचर) भूमि आबादी में परिवर्तन वर्जित है। विवादित पट्टा की भूमि ओरण भूमि है। अवैध विदाउट ज्यूरिशडिक्शन एवं नल एण्ड एबीनिशियों वायड एवं न्यूलिटी पट्टे को निरस्त करवाने की निगरानी के लिए कोई मियाद नहीं है। फिर भी सार्वजनिक हित एवं निजी खातेदारी भूमि के कुछ हिस्से पर जारी पट्टा को अवैध कब्जा करने का प्रयास करने पर प्रथम ज्ञान से निगरानी धारा 5 कानूनी मियाद का फायदा देकर अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे। अतः निगरानी स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी के नाम जारी ओरण भूमि एवं कुछ खातेदारी भूमि का भी कुछ हिस्सा शामिल पट्टा भूमि में आता है इसलिए आलौच्य पट्टा मय खर्जा हर्जा सहित खारिज फरमाया जावे।

4. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं प्रार्थी की इकतरफा बहस पर मनन किया। प्रश्नगत पट्टा ग्राम पंचायत झझु द्वारा दिनांक 01.12.1999 को जारी किया गया है, जो कि राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 के अन्तर्गत जारी प्रारूप में है। जबकि पट्टा जारी करते समय वर्तमान पंचायत राज एक्ट 1994 के प्रावधान प्रभावी हो चुके है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत पट्टा आबादी भूमि पर जारी किया गया है अथवा नहीं? यह मौका रिपोर्ट के आधार पर स्थापित होता है। इस संबंध में निगरानीकर्ता की ओर से कोई दस्तावेज या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। इसलिए प्रकरण में विस्तृत जांच की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जारी पट्टे की विधिवत् जांच व परीक्षण करवाया जाना हम न्यायोचित समझते है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रकरण विकास अधिकारी पंचायत समिति कोलायत को रिमाण्ड कर आदेश दिये जाते है कि वे उक्त पट्टे की विधिवत् जांच व इसी प्रकार से अन्य कोई पट्टे जारी हुवे है तो उनकी नियमानुसार जांच/परीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायत झझु द्वारा जारी किये गये पट्टे सही है अथवा नहीं। पट्टे विधिवत् जारी नहीं होने की स्थिति में निगरानी प्रस्तुत की जावे।

6. निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अतिरिक्त कलक्टर(प्र.)बीकानेर
अति. जिला कलेक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Azizul Hassan Gauri
Date: 2019.11.22 11:55:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: